न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जमींदारी विनाश निगरानी संख्या– 117/2012–13

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार

–बनाम–

श्रीमती जयन्ती आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री बाबूराम सैनी।

बावत
मौजा गोरधनपुर, परगना गोरधनपुर,
तहसील लक्सर, जनपद–हरिद्वार।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, लक्सर द्वारा वाद संख्या–03/2009 धारा–161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जयन्ती आदि बनाम ग्राम सभा गोरधनपुर में पारित निर्णयादेश दिनांक 27–06–2013 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत प्रतिपक्षी श्रीमती जयन्ती आदि ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20–02–2006 अन्तर्गत धारा–161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण/निगरानीकर्तागण की भूमि खसरा नम्बर–136म रकबा 1.877 है0 स्थित ग्राम गोरधनपुर, तहसील लक्सर के मालिक व काबिज सक्रमणीय भूमिधर है तथा निगरानीकर्ता/प्रतिवादी ग्राम सभा भूमि खसरा नम्बर–88म रकबा 0.018 है0 की मालिक है जिसके द्वारा दिनांक 25–06–2005 को अपने उक्त खसरा नम्बर की भूमि का विनिमय वादीगण की वर्णित भूमि के उतने ही रकबे से किये जाने का प्रस्ताव पास किया है। प्रतिवादी की भूमि का रकबा बहुत कम है, जिसका सही उपयोग प्रतिवादी नहीं कर पा रही है। विनिमय हेतु प्रस्तावित दोनों भूमि के लगान में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। प्रतिवादीगण ने तद्नुसार वादीगण की भूमि व प्रतिवादी ग्राम सभा की भूमि का विनिमय किए जाने का अनुरोध किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, लक्सर ने तहसीलदार लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की। तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 28–10–2006 में उल्लेख किया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 20–6–2005 के प्रस्ताव संख्या–3 के द्वारा प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर–88 जो वादीगण की भूमि के उत्तर में स्थित है तथा वृक्षारोपण व ग्राम सभा के अन्य किसी उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है तथा जिसका रकबा 0.18 है0 है भी काफी कम है, परन्तु बाजारी मूल्य वादीगण की प्रस्तावित भूमि से दो गुना अधिक

है। वादीगण प्रतिवादी की वर्णित भूमि से विनिमय हेतु ग्राम सभा हित में पर्याप्त भूमि दे सकता है। वादीगण की उक्त सहमति के आधार पर ग्राम सभा का खसरा नम्बर–88 रकबा 0.18 है0 का विनिमय वादीगण की वर्णित भूमि के कुल रकबे में से 0.050 है0 से किये जाने की संस्तुति तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर ने आपत्ति हेतु नोटिस निर्गत किये गये। वाद में विनिमय प्रस्ताव के विरूद्व ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति गोरधनपुर की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें विनिमय प्रस्ताव दिनांक 15–06–2005 को नियम विपरीत होने का उल्लेख किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने सम्बन्धितों के बयानों एवं वाद में अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुनने के उपरान्त निर्णयादेश दिनांक 27–06–2013 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए विनिमय प्रार्थना पत्र 20–02–2006 स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया।

निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि ग्राम सभा की भूमि से प्रतिपक्षी की भूमि का विनिमयन किया गया। प्रश्नगत भूमि ग्राम सभा की भूमि थी जो वृक्षारोपण हेतु आरक्षित थी तथा धारा–132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसका कानूनन विनिमय नहीं किया जा सकता है। विनिमय गांवसभा के हित में होना चाहिए। वादीगण में से प्रमोद कुमार प्रस्ताव पारित करने के दिनांक 25–06–2005 को स्वंय प्रधान थे तथा उनके द्वारा अपनी ही अध्यक्षता में स्वंय के व अपने भाई व माता के पक्ष में उक्त प्रस्ताव पारित किया गया जिसके लिए कोई अनुमति स्वंय व अपने परिवार के पक्ष में विनिमय करने हेतु प्राप्त नहीं की है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व एवं निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने ए0आई0आर0 1976 पृष्ठ 2602 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0डी0 1997 पृष्ठ–304 राजस्व परिषद उ0प्र0, राजस्व निर्णय संग्रह 1999 पृष्ठ–759, राजस्व निर्णय संग्रह 2001 पृष्ठ–666, राजस्व निर्णय संग्रह 2001 पृष्ठ–349 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने तर्क दिया कि अवर न्यायालय के वाद में राज्य सरकार पक्षकार नहीं थी केवल गांव सभा ही पक्षकार बनाई गई। तहसीलदार की आख्या पेपर संख्या–6/1 है जिसमें तहसीलदार द्वारा स्वंय मौके पर जाकर स्थलीय जांच की गई और प्रश्नगत भूमि के विनिमय की संस्तुति अपनी रिपोर्ट दिनांक 28–10–2006 में की थी। विनिमय दिनांक 27–06–2013 को हुआ उस दिन प्रतिपक्षी प्रमोद प्रधान नहीं था। ग्राम सभा सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य ने भी भूमि के विनिमय हेतु अपने बयानों में अनापत्ति प्रदान की थी। प्रश्नगत भूमि चारों ओर तीस वर्ष से आबादी से घिरा हुआ है और उस पर कभी भी कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ और न ही वृक्षारोपण होने का प्रश्न है। ग्राम सभा की भूमि के बदले

विपक्षी ने काफी अधिक भूमि विनिमय की है जिससे गांव सभा को कोई हानि नहीं हुई है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश लोकहित में है और भली–भांति परीक्षण के पश्चात पारित किया गया है। निगरानी निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने आर0डी0 2000 पृष्ठ–1 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, आर0डी0 2008 पृष्ठ 182 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं आर0डी0 2008 पृष्ठ–634 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षीगण ने ग्रामसभा से पारित प्रस्ताव दिनांक 25–06–2005 के अनुसार अपनी भूमि को ग्राम सभा की भूमि से विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 17–02–2006 प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 28–10–2006 में उल्लेख किया कि उनके द्वारा स्वंय मौके पर जाकर स्थलीय जांच की गई एवं प्रश्नगत विनिमय किए जाने की संस्तुति की गई। ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्यों ने भी अपने बयानों से विनिमय हेतु अनापत्ति प्रदान की है। केवल वर्तमान प्रधान ने ही पाँच वर्ष बाद इस विनिमय के स्वीकृति पर अपनी आपत्ति की है जो कि काफी विलम्ब से की गई है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पेपर संख्या–6/1 में लेखपाल ने भी अपनी आख्या में प्रश्नगत भूमि को वृक्षारोपण एवं ग्राम सभा के किसी अन्य उपयोग हेतु उपयुक्त न होने का उल्लेख किया है। अतः अभिलेखों से यह सिद्व होता है कि प्रश्नगत विनिमय से ग्रामसभा को कोई हानि नहीं है। प्रतिपक्षी द्वारा ग्रामसभा की भूमि के बदले में अपनी अधिक भूमि ग्रामसभा को दी गई है जिससे गांवसभा को कोई हानि दृष्टिगत नहीं है। अधिवक्ता प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था आर0डी0 2008(105) पृष्ठ–182 पन्ना लाल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, फैजाबाद व अन्य में भी यह अवधारित किया गया है कि "विनिमय–लोक प्रयोग के लिए आरक्षित भूमि का तहसीलदार की आख्या कि प्रश्नगत भू–भाग न तो लोक उपयोग के लिए किया जा रहा है न ही ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है–व्यक्तिगत भूमि जो विनिमय में दी जा रही है, लोकहित में प्रयाग की जा सकेगी–विनिमय स्वीकार किया गया–हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।" विद्वान सहायक कलेक्टर ने भली–भांति परीक्षण एवं गुणदोष के आधार पर प्रश्नगत निर्णयादेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी निरस्त होने योग्य है।

निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 2 मई, **2014**

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।